

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- २२  
सेवा में,

/22-2, मुरादाबाद, दिनांक,

०१/०७/

2015

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :-

मै० इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद द्वारा ग्राम छजुपुरा सैद तहसील बिजनौर जिला बिजनौर के खसरा संख्या-217 क, 218 बिजनौर-नूरपुर प्रान्तीय राजमार्ग संख्या-76 कि०मी० 17.127 की दांयी पटरी पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प में प्रभावित वन भूमि 0.0750 हे० के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-  
महोदय,

प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग बिजनौर की पत्र संख्या-4727/14-1, दि० 22-6-2015

मै० इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद द्वारा ग्राम छजुपुरा सैद तहसील बिजनौर जिला बिजनौर के खसरा संख्या-217 क, 218 बिजनौर-नूरपुर प्रान्तीय राजमार्ग संख्या-76 कि०मी० 17.127 की दांयी पटरी पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प में प्रभावित वन भूमि 0.0750 हे० के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण एवं प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बिजनौर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।  
संलग्नक- प्रस्ताव 2 मूल प्रतियों में।

भवदीय,



(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक- /22-2, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि :-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर को उनके उक्त पत्रांक के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कमलेश कुमार)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,

मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।